



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल
मध्यप्रदेश शासन
M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

क्र. 75 / फीस / म.प्र.नि.वि.वि.आयोग / 2019-20
प्रति,

दिनांक 12/11/2020

कुलसचिव,
अवंतिका विश्वविद्यालय,
विश्वनाथपुरम, सर्वे नंबर 08,
ग्राम लेकोड़ा, उज्जैन(म.प्र.)

विषय:-शैक्षणिक सत्र वर्ष 2019-20 हेतु शुल्क की समीक्षा हेतु आदेश।

संदर्भ:- आपका पत्र क्र. AU/02/MBP/MPPURC/04/2019/35 दिनांक 24/04/2019

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड़) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों के द्वारा वर्ष 2019-20 विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की समीक्षा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर सन्दर्भित पत्र में उल्लेखित तथ्यों/शर्तों के अध्यक्षीन की गई है। इस हेतु आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 02.12.19 एवं 24.12.19 में की गयी अनुशंसाएं आयोग की बैठक दिनांक 24.12.19 में अनुमोदित की गई, तदनुसार अवंतिका विश्वविद्यालय, उज्जैन में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

शैक्षणिक सत्र 2019-20 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रु. लाख में)

स. क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शुल्क	आयोग द्वारा समीक्षा उपरान्त अनुमोदित शुल्क		
			पाठ्यक्रम शुल्क	विकास शुल्क	योग
School Of Design					
1	B.Des.	4.45	3.50	0.62	4.12
2	M.Des.	5.150	3.604	0.636	4.240
School Of Engineering/Arch./Fashion					
3	B.Tech	3.520	2.873	0.507	3.380
4	B. Arch.	2.94	2.499	0.441	2.94
5.	B. Fash.	2.50	2.125	0.375	2.50

नोट - उपरोक्त शुल्क समीक्षा आपके एवं आपके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय आकड़ों के आधार पर की गई है।

निरंतर - 2

//2//
अवंतिका विश्वविद्यालय, उज्जैन

शैक्षणिक सत्र 2019-20 शुल्क समीक्षा आदेश

1. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्को का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
2. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। विकास शुल्क की राशी का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
3. सत्र 2019-20 हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जाये। यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।

(चेयरमेन द्वारा अनुमोदित)


सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,
भोपाल

पृ. क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2019-20

भोपाल, दिनांक..../..../2020

प्रतिलिपि-

1. कुलपति, अवंतिका विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
3. गार्ड फाईल।


सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,
भोपाल